(4)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल , मध्य प्रदेश ग्वालियर

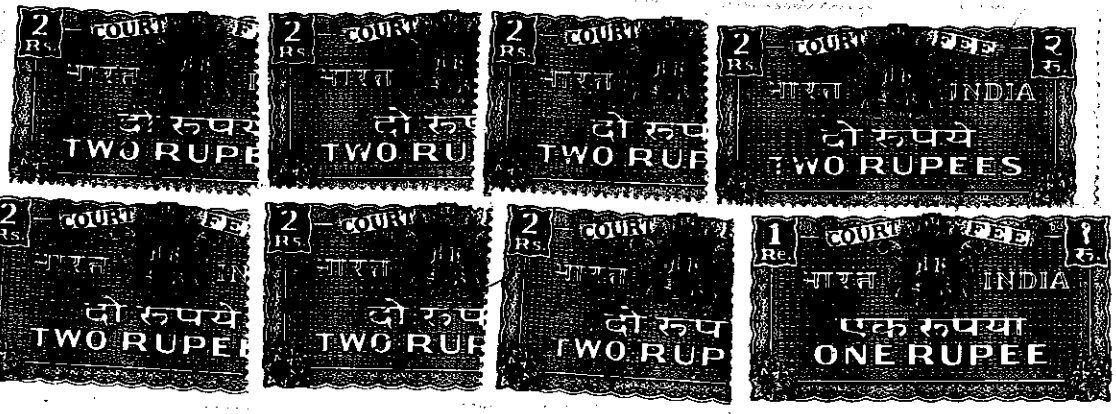

R 251-III/07

श्री नरेन्द्र कुमार दुबे अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत।
25-1-07

प्रसाद उर्फ शिव प्रसाद तनय श्री तेजा उर्फ लोलर अहिर निवासी ग्राम उपनी तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 ----- आवेदक

बनाम,

मृत (मुस0 दुगिया वेवा बुधुआ अहिर निवासी ग्राम उपनी तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 ------------- अनावेदिका

द्वितीय पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर महो0 रीवा सम्भाग , रीवा म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक 107/ निगरानी / 2006- 2007 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2006 .

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959.

उक्त से प्रस्तुत

(1) मुस0 ... पुत्री स्व0 बुधुआ अहिर निवासी ... अमरहा ... सीधी तह0 गोपदबनास जिला सीधी
(2) राम... पुत्र स्व0 बुधुआ अहिर निवासी ... तह0 गोपदबनास जिला सीधी
(3) मुस0 ... पुत्री स्व0 बुधुआ अहिर निवासी अमरहा तह0 गोपदबनास जिला सीधी
(4) महा... पिता मंगली अहिर
(5) मुनी पिता मंगली अहिर
(6) ... पिता मंगली अहिर
(7) ... पिता मंगली अहिर
(8) श्रीमती पार्वती पुत्री मंगली अहिर
(9) श्रीमती ... पुत्री मंगली अहिर निवासी ग्राम महुली तह0 ... जिला सिंगरौली

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नाधारों पर पुनरीक्षण पेश है -

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रकृया व न्याय के विपरीत है ।

2. यह कि अनावेदिका ने अवैध रूप से अपने नाम फर्जी तौर से अपने नाम नामान्तरण कराकर दुर्भावना पूर्वक राजेन्द्र बहादुर तनय जगत सिंह ग्राम उपनी तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 के हक दिनांक 17.8.62 को बयनामा का निष्पादन पंजीयन कराकर कब्जा दखल देने का तथ्य तहरीर करा दिया । आवेदक ने अपने पिता के द्वारा व खुद के द्वारा अपने हिस्से स्वत्व कब्जे की भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 251–दो/2007 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13 –12–2016	आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 107/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 21–11–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवालेकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 23–9–02 के विरूद्ध अपर आयुक्त न्यायालय में अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी जिसके कारण अपर आयुक्त ने प्रस्तुत अपील को बिलंब से प्रस्तुत होने से अग्राह्य किया है। अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर अपील में हुये विलंब को समाधानकारक नहीं माना है। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	